UPSI180000022020

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०–02/2020

रमेशचन्द्र बनाम बलराज आदि।

<u>दिनांकः–20.01.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय–पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु संख्या–3, 4 व 5 नियत है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त वादबिन्दुओं के निस्तारण पर बल दिया गया। सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं०–3</u>

उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?**

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा वाद–पत्र के पैरा–7 में वाद का मूल्यांकन मु०–1000/–रुपये निर्धारित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त मूल्यांकन के विरूद्ध अपने लिखित उत्तर में आपत्ति की गयी है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है, किन्तु उक्त के संबंध में कोई भी प्रपत्र अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुंसरिम की आख्यानुसार वादीगण द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन उचित है, जिससे वाद का मूल्यांकन उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार उक्त वादबिन्दु वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं०–4</u>

उक्त वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?**

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दावा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा उपर्युक्त मूल्यांकन के सापेक्ष स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति हेतु न्यायशुल्क मु०–22.50 रुपये अदा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित उत्तर में आपत्ति की गयी है कि वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है, किन्तु उक्त के संबंध में कोई भी प्रपत्र अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मुंसरिम की आख्यानुसार न्यायशुल्क उचित एवं पर्याप्त है। तद्नुसार उक्त वादबिन्दु वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–5</u>

उक्त वादबिन्दु न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में विरचित है।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई का सम्पूर्ण अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन भी उचित निर्धारित किया गया है, जोकि इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अन्दर है। विवादित सम्पत्ति इस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित है। अतः उक्त वादबिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वादबिन्दु संख्या–5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनाँक–20.02.2025 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज(जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code–UP3555

vijay/–

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2025.01.20 17:37:32 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M Mahmudabad
Sitapur.